

# कार्यपालक दण्डाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश फलक

*निर्णयित*

धारा-144 द०प्र०सं०

वाद संख्या 104/2020  
104/2020

प्रधान जमीन

- बनाम -

बनारस प्रसाद मुवा

23-11-2020 चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 23-11-2020 दिनांक 08-12-2020

के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि प्रभा पट्टा 05 थाना चक्रा (द्वितीय पट्टा 0 बनारस) दिनांक 14-12-2020

प्रसाद मुवा (उपरोक्त मुवा) (उ) सारंग मुवा (उ) विवेक मुवा (उ) जय दिनांक 26-12-2020

मुवा दिनांक 04-01-2021

..... नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शान्ति भंग दिनांक 19-01-21

हाने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण दिनांक 22-01-2021

रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत कार्रवाई

आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 02-12-2020 तक दाखिल करें।

## भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी
------	----------	----------	-----------	------	---------

<u>गोईलबरी</u>	<u>531</u>	<u>066</u>	<u>282</u>	<u>7 ई०</u>	पूर्व <u>रास्ता</u>
					पश्चिम <u>प्रसाद मुवा</u>
					उत्तर <u>बाबूजी कामरुज्ज</u>
					दक्षिण <u>बाबूजी कामरुज्ज</u>

23/11/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

02-12-2020 अभिलेख उपस्थापित / उद्यम पक्ष के सदस्य अनुपलब्ध / प्रौद्योगिक पक्ष का कार्य में गलत, अभिलेख दिनांक 08-12-2020 को उपस्थापित करें।

08-12-2020 अभिलेख उपस्थापित / उद्यम पक्ष के सदस्य अनुपलब्ध, प्रौद्योगिक पक्ष का कार्य में गलत, अभिलेख दिनांक 14-12-2020 को उपस्थापित करें।

14-12-2020 अभिलेख उपस्थापित / प्रथम पक्ष के सदस्य ① प्रधान जोशी उपस्थित / द्वितीय पक्ष के सदस्य ① अजय प्रसाद गुप्ता ② गणेश गुप्ता ③ सागर गुप्ता व बालनमा सागर उपस्थित।  
अभिलेख दिनांक 26-12-2020 को उपस्थापित करें।

26-12-2020 अभिलेख उपस्थापित / प्रथम पक्ष के सदस्य में अधिकांश द्वारा वैधता की गई। द्वितीय पक्ष के सदस्य ① अजय प्रसाद ② गणेश गुप्ता उपस्थित। प्रौद्योगिक पक्ष का कार्य में गलत, अभिलेख दिनांक 04-1-2021 को उपस्थापित करें।

04-01-2021 अभिलेख उपस्थापित / द्वितीय पक्ष के सदस्य ① गणेश कुमार गुप्ता ② सागर गुप्ता उपस्थित / प्रथम पक्ष के सदस्य ① प्रभात जोशी उपस्थित।  
Both parties yet to give slc.  
next date. 19/1

Handwritten signature and date: 19/1

19-01-2021

अभिनेत्र अथवा/पुत्रा वर के वर के पुत्रा वर के अथवा  
साथ में वर पुत्रा वर के वर के/द्वितीय वर के वर के वर के  
पुत्रा वर के अथवा

On the perusal of the petition filed by 1<sup>st</sup> party, it has come to light that a land piece belongs to 1<sup>st</sup> party namely Thana no. 531, Khata no. 666, Plot no. 282, has apparently been encroached by members of 2<sup>nd</sup> party, who have also resorted to violence to claim the land.

In their support, the learned lawyers of the 1<sup>st</sup> party has submitted a report of mutation document in their name, as well as the order by the appellate court of L.R.P.C. Chakradharpur, which has rejected an appeal by 2<sup>nd</sup> party against the mutation.

The main points raised by the O/P party have been on the subject ~~condition~~ of mutation & have argued against it. They also submit that a civil case is pending in civil court on the issue of title on the said piece of land.

Orally, the members of the 2<sup>nd</sup> party have accepted to having been encroached on the land, although this argument is that they have encroached it ~~for~~ since long back.

Based on this, it appears fair that until the issue of title is settled by the civil court, a status quo on the piece of land must be maintained, and any fresh construction be allowed.

The OP, in the spirit of this premise, has consented to undo the fresh construction that it had started and has assured to comply with this, by the next date of hearing, i.e. 22/1, failing to do so, this order would be made absolute.

  
1911

22-01-21. ~~अधिलेख उपलब्धित / द्वितीय पक्ष के ओर से अधिलेख द्वारा बंधनकारक  
बनाने की गई / प्रथम पक्ष के ओर से अधिलेख द्वारा पैदा की गई /  
पंचमतीय पक्ष, अन्य कार्य के द्वारा अधिलेख दिनांक 25-01-2021 को  
उपलब्धित करें।~~

25-01-21. ~~अधिलेख उपलब्धित / प्रथम पक्ष के द्वारा अनुपस्थित / बाद की उपलब्धित  
श्री के द्वारा पक्ष की कार्यवाही समाप्त की जाती है।~~